न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी—मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:—88 आरटीए
प्रकरण संख्या:—13/2019

1. राजाराम पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. प्रवीण कुमार पुत्र कृष्ण कुमार } जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी
2. कृष्ण कुमार पुत्र मनीराम } जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री करनैलसिंह अधिवक्ता वादी
श्री महावीर प्रसाद अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :— 04-07-2019

वादी राजाराम ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादी सं0 1 प्रवीण कुमार के नाम से चकनं0 4 एफटीपी के खाता सं0 64 में कुल 1.380 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 आपस में सगे भाई है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में काफी अर्सा पूर्व घरू बटवारा हो गया था व घरू बटवारा में प्रतिवादी सं0 2 द्वारा वादी को चकनं0 4 एफटीपी के प0नं0 206/239 मु0 43 किलानं0 6/1/.063, 15/3/.032 है0 कुल .095 है0 आराजी दी थी, प्रतिवादीसं0 1 के नाम से दर्ज आराजी के चिपते हुए इसी मुरब्बा में वादी की भी कृषि भूमि है। जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है लेकिन उपरोक्त आराजी जो पूर्व में प्रतिवादी सं0 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, प्रतिवादीसं0 2 ने उपरोक्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दी थी जबकि बटवारा में प्राप्त आराजी पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए उक्त आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से तथा प्रतिवादीसं0 1 के नाम से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादी वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर चकनं0 4 एफटीपी के खातासं0 24 में से प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी के अनुसार भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने व प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही विवाद दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादीगण ने अदालत में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है व आपस में रक्त सम्बन्धी है। हम पक्षकारान का वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आपस में घरू बटवारा किया हुआ है। वादपत्र की दफा 3 के अनुसार भूमि वादी को प्रतिवादी सं0 1 ने बटवारा में दी हुई है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है। इसलिए वादपत्र की दफा 3 के अनुसार भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा

सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

कम किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है। राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो राजीनामा के साथ शामिल कर बाद तस्दीक राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उपरोक्त आराजी का वादपत्र की दफा 3 के अनुसार अपास में राजीनामा हो गया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामा में मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीसं0 1 के नाम से दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 4 एफटीपी के खाता सं0 64 के प0न0 206/239 मु0 43 किलानं0 6/1/.063, 15/3/.032 है0 कुल .095 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 4 एफटीपी के खाता सं0 64 में से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04-07-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर– 13/2019

1. राजाराम पुत्र मनीराम जाति विश्नोई निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. प्रवीण कुमार पुत्र कृष्ण कुमार } जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी
2. कृष्ण कुमार पुत्र मनीराम } जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री करनैलसिह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0 4 एफटीपी के खाता सं0 64 के प0न0 206/239 मु0 43 किलानं0 6/1/.063, 15/3/.032 कुल .095 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 4 एफटीपी के खाता सं0 64 में से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04.07.2019 को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner